मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—:—

क्र0 540/आर 1703/11/ब—1/चार भोपाल, दिनांक 02/06/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश

विषयः—लोक वित्त से वित्त पोषित (Publicly Funded) कार्यक्रमों,योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया ।

संदर्भः—1. मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग का पत्र कमांक 347/आर. 1703/चार/ब—1/2012, दिनांक 31/03/2017

2. वित्त विभाग का पत्र कमांक 255/आर. 1703/चार/ब—1/2012, दिनांक 16 जून 2020.

3. वित्त विभाग का पत्र कमांक 638/आर. 1703/चार/ब—1/2012, दिनांक 20/07/2021.

———

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं की निरंतरता केन्द्रीय वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के लिए प्राप्त करने के संबंध में प्रकिया का निर्धारण किया गया था। वर्तमान में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर वित्तीय वर्ष 2021—26 के लिए संसाधनों की उपलब्धता की अनुशंसायें की गई हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसी समस्त योजनाएं जो पूर्व में संदर्भित परिपत्र कमांक—1 के अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत हैं, जिनको बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया हो एवं/या जिनकी शून्य बजट प्रावधान न हो, वे समस्त योजनाएं दिनांक 31/03/2023 तक के लिए निरंतर मान्य की जायेंगी। इसके पश्चात् की अवधि के लिये योजनाओं/परियोजनाओं की निरन्तरता हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

2/ नवीन योजनाओं/पुनरीक्षित योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में संदर्भित परिपत्र कमांक—1 की कंडिका—4 एवं 5 अनुसार कार्यवाही की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
अपर सचिव एवं संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग

निरंतर...2.

पृ०क्र०541 /1703/2011/ब-1/चार भोपाल, दिनांक 02/06/2022

प्रतिलिपि:-

1/ राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3/ निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5/ सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
6/ सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7/ निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल।
8/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9/ सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10/ रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर ग्वालियर।
11/ महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश भोपाल।
13/ अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड/माध्यमिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश भोपाल।
14/ प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
15/ आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
16/ आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17/ नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए।
18/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल।
19/ मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल।
20/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश।
21/ समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश।
22/ संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय, भोपाल ।
23/ अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय भोपाल।
24/ अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
25/ समस्त कोषालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
26/ गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हस्ताक्षर) 02/06/22

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 347/आर-1703/चार/ब-1/2012 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- लोक वित्त से वित्त पोषित (Publicly Funded) कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की सम्मिलित कार्यक्रम/योजनाओं एवं परियोजनाओं को दिनांक 01.04.2017 के पश्चात् निरन्तर रखने तथा नवीन योजनाओं के परीक्षण एवं स्वीकृति हेतु ये दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। परियोजना से आशय इस प्रकार के व्यय प्रस्तावों से है, जिनमें निश्चित सीमित अवधि में एक बार व्यय करके स्थाई परिसम्पत्तियां निर्मित की जाती हैं तथा जिनसे वित्तीय अथवा आर्थिक या दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसे अनावर्ती व्यय प्रस्तावों को भी शामिल किया जा सकता है, जिनसे किसी शासकीय संगठन की कार्यक्षमता अथवा सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है। पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव परियोजना के रूप में ही वर्गीकृत होते हैं। अन्य व्यय प्रस्तावों को कार्यक्रम अथवा योजनाओं के रूप में मान्य किया जाता हैं।

2. वित्तीय संसाधनों की निर्भरता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर रहती है। पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था की समाप्ति के कारण भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योजनाओं/परियोजनाओं के परीक्षण के समय वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता तथा उपलब्धता का आक्कलन वित्त आयोग के अवार्ड अवधि को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना चाहिये। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विश्वसनीय आक्कलन वित्त आयोग की अनुशंसित अवधि तक के लिये होने के कारण यह आवश्यक है कि, प्रस्तावित कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिये वित्तीय संसाधनों का आक्कलन केन्द्रीय वित्त आयोगों की आवार्ड अवधि के लिये दिया जाये ताकि राज्य को वित्त पोषण करने में कठिनाई न हो।

3. कार्यक्रम/योजना की स्वीकृति तथा निरन्तरता के विषय में प्रशासकीय विभाग कार्यक्रम/योजना के मूल उद्देश्य, उसकी आवश्यकता, उससे प्राप्त होने वाले लाभ तथा उसके लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन की जानकारी का समावेश करते हुये विचाराधीन कार्यक्रम को प्रपत्र-1 में तैयार करेगा। कार्यक्रम पर मन्त्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु तैयार की जाने वाली संक्षेपिका में इसे परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जायेगा।

4. **पूँजीगत व्यय**

[अ] निर्माण विभागों में यह व्यवस्था है कि वार्षिक बजट प्रस्ताव के अंतर्गत सिविल कार्यों के लिये वित्तीय प्रावधान "कार्यक्रम" अंतर्गत पूंजीगत मद में कराये जाकर उन वित्तीय संसाधनों से विभिन्न परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जनता की मांग के आधार पर मैदानी सर्वेक्षण उपरान्त विभिन्न परियोजनायें, नवीन मद के रूप में अनुदान मांगों के अंतर्गत प्रस्तावित की जाती हैं। पूंजीगत व्यय सुनियोजित तरीके से करने के लिये कण्डिका 3 अनुसार प्रशासकीय विभाग मापदंड आधारित कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उस पर मंत्रि-परिषद का नीतिगत आदेश प्राप्त करेंगे। नीतिगत आदेश प्राप्त करते समय पूंजीगत व्यय संबंधी विचाराधीन कार्यक्रम के लिये परियोजना अवधि के 3 वर्षों हेतु वर्षवार MTEF (Mid Term Expenditure Framework) का उल्लेख किया जायेगा।

[ब] मंत्रि-परिषद का नीतिगत/सैद्धांतिक निर्णय प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत का विस्तृत परीक्षण निम्नांकित समिति द्वारा किया जाकर अनुमानित व्यय का आक्कलन किया जायेगा:-

1. विभागाध्यक्ष
2. भवन निर्माण की स्थिति में परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, लोक निर्माण विभाग के परियोजना निर्देशक
3. विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालय के वित्तीय सलाहकार
4. वित्त विभाग के उप सचिव से अनिम्न अधिकारी
5. अन्य, जिसे विभागाध्यक्ष आवश्यक समझे

[स] पूंजीगत व्यय संबंधी प्रत्येक परियोजना का परीक्षण निम्नांकित समितियों द्वारा किया जायेगा:-

1. स्थायी वित्तीय समिति (Standing Finance Committee)
2. वित्तीय व्यय समिति (Expenditure Finance Committee)
3. परियोजना परीक्षण समिति (Project Screening Committee)

उपर्युक्त समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :-

क्र.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष	समिति के सदस्य	कार्य योजना/परियोजना व्यय के अनुशंसा की सीमा	प्रशासकीय अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी
1.	स्थायी वित्तीय समिति (Standing Finance Committee)	प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव	1. सचिव वित्त विभाग, (संबंधित विभाग का कार्य देखने वाले सचिव) 2. विभागाध्यक्ष 3. सचिव योजना विभाग	₹20.00 करोड़ तक	विभागीय मंत्री द्वारा अनुमोदन

2.	वित्तीय व्यय समिति (Expenditure Finance Committee)	वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव	1. विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव 2. सचिव वित्त विभाग (संबंधित विभाग का कार्य देखने वाले सचिव) 3. विभागाध्यक्ष 4. सचिव योजना विभाग	₹20.00 करोड़ से अधिक एवं ₹100.00 करोड़ तक	विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत वित्त मंत्री का अनुमोदन
3.	परियोजना परीक्षण समिति (Project Screening Committee)	मुख्य सचिव	1. विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव 2. सचिव वित्त विभाग (संबंधित विभाग का कार्य देखने वाले सचिव) 3. विभागाध्यक्ष 4. सचिव योजना विभाग	₹100.00 करोड़ से अधिक	1. मंत्रि-परिषद का अनुमोदन आवश्यक होगा। 2. परियोजना परीक्षण समिति के अनुमोदन के पश्चात् मंत्रि-परिषद संक्षेपिका अभिमत के लिये वित्त विभाग को प्रेषित को जायेगी।

[द] यदि राशि का व्यय अनुसूचित जाति/जनजाति उप योजना (सब स्कीम) के अंतर्गत है अथवा जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राही बहुतायत में लाभांवित होंगे, ऐसे व्यय से संबंधित कार्य/परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, दोनों विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को भी बैठक में आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा।इसी प्रकार अनुसूचित जाति विभाग की सक्षम वित्तीय समिति में अनुसूचित जनजाति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव एवं अनुसूचित जनजाति विभाग की बैठक में अनुसूचित जाति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को अनिवार्यतः आमंत्रित किया जावेगा।

परियोजना प्रतिवेदन वित्त विभाग में बैठक की तिथि से कम से कम सात कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिये जिससे वित्त विभाग में परियोजना प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण हो सके।

5. **राजस्व व्यय**

[अ] राजस्व व्यय के प्रकरणों में बजट प्रस्तावों में नवीन मद अन्तर्गत शामिल किये जाने के पश्चात् प्रशासकीय विभाग, पदों के सृजन को छोड़कर, शेष प्रकरणों में रूपये 20 करोड़ तक व्यय भार के लिये वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु सक्षम होगा। रूपये 20 करोड़ से अधिक व्यय भार के प्रकरणों में वित्त विभाग के अभिमत के पश्चात मंत्रि परिषद का आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

[ब] प्रस्ताव में राजस्व एवं पूंजीगत, दोनों प्रकार के व्यय शामिल है तो पूंजीगत व्यय के प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6. <u>कार्यक्रम, योजनाओं/परियोजनाओं की निरन्तरता</u>

[अ] पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा के अंतर्गत प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति पर उसमें शामिल योजनाओं को आयोजनेतर मद में स्थानांतरित किये जाने की अपेक्षा रहती रही है अथवा आयोजना मद की योजना को आयोजनेतर मद की ऐसी मुख्य योजना मे समाहित किया जाता है, जिनका उद्देश्य समान हो। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल योजनाओं की निरन्तरता के विषय पर भारत सरकार द्वारा पृथक से मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 23.02.2017 को जारी किये गये हैं। अतः सभी प्रशासकीय विभागों से यह अपेक्षा है कि वे समान उद्देश्य वाली योजनाओं को मुख्य योजना में समाहित करने की कार्यवाही करें ताकि विभागों को उपलब्ध कराये जा रहे बजट प्रावधान का उपयोग करने में उन्हें सुविधा हो।

[ब] बारहवीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं को दिनांक 01 अप्रैल, 2017 के पश्चात् निरन्तर रखे जाने के संबंध में प्रशासकीय विभाग सक्षम् स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही 30 जून, 2017 के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण करें। यदि किसी योजना के लिये वर्ष 2017-18 के बजट प्रस्ताव में प्रावधान नहीं है तथा इस के लिये वर्ष 2017-18 के बजट प्रस्तावों में समान उद्देश्य की योजना का प्रावधान भी नहीं है, तब ऐसी योजनाओं को निरन्तर रखे जाने हेतु पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव तैयार कर उस पर प्रशासकीय आदेश सक्षम स्तर से दिनांक 30 जून, 2017 के पूर्व प्राप्त किया जाकर अनुपूरक अनुदान प्रस्ताव में शामिल करने हेतु संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

7. उपरोक्त प्रक्रियाओं के पालन के पश्चात् प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर उसकी प्रति महालेखाकार एवं आयुक्त, कोष एवं लेखा को भी पृष्ठांकित की जायेगी। आयुक, कोष एवं लेखा (कोषालय) के सर्वर में यह व्यवस्था करेंगे कि किसी भी स्थिति में प्रशासकीय स्वीकृति में सम्मिलित राशि से ज्यादा संचित (cumulative) रूप से आहरण न कर सकें। प्रशासकीय विभागों की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने स्तर से यह सुनिश्चित करें कि प्रशासकीय स्वीकृति से ज्यादा राशि इस योजना में आहरण/व्यय न हो पाये।

8. ऊपर उल्लेखित व्यवस्था के अतिरिक्त यदि कतिपय अन्य विभागों के यदि कोई प्रकरण हैं तो ऐसे प्रकरण परीक्षण के लिये वित्त विभाग को प्रेषित कर आगामी कार्रवाइ की जायेगी। इस संबंध में यदि कोई व्याख्या/स्पष्टीकरण का प्रश्न उद्भूत होता है तो उक्त प्रकरण वित्त विभाग के निर्णय हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

9. सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, जेल, विधि, राजस्व जैसे नियामक विभागों के व्यय प्रस्तावों के परीक्षण तथा स्वीकृति के लिये पृथक व्यवस्था लागू होगी जिस पर पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

10. केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसान्तर्गत प्राप्त विशिष्ट प्रयोजन अनुदान से किये जाने वाले उच्च स्तरीय निगरानी समिति (High Level Monitoring Committee) से अनुमोदित कार्यों, एन्यूटी तथा जननिजी भागीदारी के राज्य स्तरीय साधिकार समिति (State Level Empowered Committee) के द्वारा अनुमोदित कार्यों एवं बाह्य पोषित कार्य/परियोजनाओं के लिये गठित राज्य स्तरीय समिति (State Level Committee for Externally Aided Projects), के द्वारा अनुमोदित कार्यों के परीक्षण तथा प्रशासकीय स्वीकृति की पृथक प्रक्रिया होने से इनसे संबंधित कार्यों एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि से कराये जाने वाले कार्यों एवं परियोजनाओं हेतु उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

अजीत

(अजीत प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

348

पृ. क्रमांक /आर-1703/चार/ब-1/2012 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालयिर।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए।
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल।
19. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय भोपाल।
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
23. अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय, भोपाल।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी।
26. गार्ड फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट–1

नवीन कार्यक्रम की अनुशंसा के लिये परियोजना अभिलेख का प्रारूप

1. कार्यक्रम की रूपरेखा/पृष्ठभूमि

1.1 कार्यक्रम का नाम

1.2 कार्यक्रम की प्रस्तावित लागत

1.3 कार्यक्रम की प्रस्तावित समय–सीमा

1.4 कार्यक्रम का स्वरूप : केन्द्र प्रवर्तित योजना/राज्य सहायित

1.5 राज्य सहायित कार्यक्रम हेतु उप कार्यक्रम/अवयव/घटक (यदि कोई हैं), का उल्लेख। केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम हेतु केन्द्र एवं राज्य का हिस्सा (अगर कोई हो), तो उल्लेख।

1.6 क्या नवीन कार्यक्रम हैं या निरंतर? निरंतर कार्यक्रम की स्थिति में क्या पूर्व कार्यक्रम के मुख्य निष्कर्ष।

1.7 कार्यक्रम से संबंधित अवधारण पत्र या विस्तृत पत्र तैयार किया गया है? यदि हॉ, तो कपया संलग्न करें।

1.8 वर्तमान में संचालित योजना/उप योजना को समाप्त, विलय या संशोधित किया जा रहा हैं तब उसका विवरण

1.9 क्या संचालित योजना/उपयोजना की तत्सदृश योजना हैं अगर हॉ तो दोहरा एवं संसाधनों के क्षय को रोकने के प्रयासों की जानकारी

1.10 अम्बरेला योजना की स्थिति में योजना/उपयोजना का विस्तृत विवरण एवं प्रस्तावित व्यय का आंकलन अवयव वार उपलब्ध करावें ।

2. परिणाम एवं परिदेय

2.1 कार्यक्रम अवधि कार्य के विभिन्न स्तर एवं वर्षवार निवेशित की जाने वाली राशि

कार्य का स्तर/मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

2.2 योजना के परिणाम के आंकलन से संबंधित, सूचकांक, जिनके आधार पर कार्यक्रम का सामयिक मूल्यांकन किया जा सके । आधारभूत तथ्यांक अथवा सर्वेक्षण जिसके आधार पर प्राप्त लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जा सके;

2.3 शासन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं/उप योजनाओं, जिनकी उपलब्धि उल्लेखनीय रही है तथा प्रस्तावित योजना के समरूप हैं । ऐसी योजनाओं के मध्य सहकियात्मकता के प्रयास जिससे समेकित परिणाम प्राप्त हो सकें तथा लोक संसाधनों की बचत हो सके का विवरण भी अंकित करें ।

3. **लक्षित लाभार्थी**

3.1 क्या यह योजना किसी विशिष्ट स्थान, क्षेत्र, जनसंख्या के किसी विशिष्ट भाग हेतु संचालित हैं । लाभार्थियों के चयन का आधार ।

3.2 योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग तथा अन्य लाभार्थियों के लिए किये गये विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख।

3.3 क्या योजना में जेंडर समानता हेतु प्रावधान हैं, महिला कल्याण के प्रावधानों का उल्लेख।

3.4 यदि योजना हितग्राही मूलक हैं तो संभावित हितग्राहियों के चयन की प्रकिया का विवरण। हितग्राहियों के चयन की प्रकिया को "आधार" पहचान के साथ सहलग्नता का विवरण।

4. **लागत विश्लेशण**

4.1 कार्यक्रम की लागत प्राक्कलन जिसमें आवर्ती/अनवर्ती लागत की कुल राशि तथा वर्षवार व्यय का विवरण ।

4.2 योजना की लागत के अनुमान का आधार।

4.3 योजना में देय राज्य सहायता का वर्षवार, मदवार विवरण।

5 **योजना का वित्त पोषण**

5.1 योजना के लिए वित्त पोषण के स्रोतों का उल्लेख करें : बजट सहायता, बजट के अतिरिक्त स्रोत , बाहय सहातया, राज्य हिस्सा आदि (सार्वजनिक उपक्रम एवं स्थानीय निकायों के मामलों में)

5.2 वित्त पोषण में भारत सरकार का अंश, राज्य सरकार का अंश, स्थानीय निकायों का अंश हितग्राही अंश या निजी भागीदारी अंश।

6. **मानव संसाधन**

6.1 अगर जनशक्ति नियोजन आवश्यक है तो पदों (स्थाई/अस्थाई) का विवरण पृथक से सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग को भेजा जावे । (यह प्रस्ताव मूल योजना प्रस्ताव अनुमोदन के उपरांत ही भेजा जावे ।)

7. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

7.1 योजना की उद्देश्यों की वास्तविक परिणाम के आंकलन के तरीके, सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रावधिक अंकेक्षण का विस्तृत विवरण।

7.2 योज़ना में स्वंतत्र पक्ष/निष्पक्ष मूल्यांकन की व्यवस्था का उल्लेख करे (यह मूल्यांकन योजना को आगे की अवधि में निरंतर रखने के परीक्षण हेतु आवश्यक है)

नवीन परियोजनाओं की अनुशंसा के लिये परियोजना अभिलेख का प्रारूप

1. **योजना की रूपरेखा/पृष्ठभूमि**

1.1 योजना का नाम

1.2 योजना की प्रस्तावित लागत

1.3 योजना की प्रस्तावित समय–सीमा

1.4 यदि प्रस्तावित परियोजना किसी कार्य का अंग है, तब कार्यकम के अंतर्गत प्राप्त कुल स्वीकृतियों की लागत तथा वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि;

(अ) कुल स्वीकृतियों की लागत ––––

(ब) वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि

वित्तीय वर्ष	आवश्यक राशि
2017–18	
2018–19	
2019–20	

1.5 क्या योजना की संवहनीयता और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है।

1.6 क्या प्रस्ताव मूल लागत अनुमान हैं या पुनरीक्षित लागत अनुमान है ।

1.7 पुनरीक्षित लागत अनुमान के प्रकरण में क्या लागत पुनरीक्षण समिति से अनुमोदन लिया गया है।

लागत पुनरीक्षण समिति में विभाग के प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं परियोजना प्रभारी होंगें।

1.8 क्या कोई भू–अर्जन, वनभूमि के लिये सहमति या पूर्व निवेश गतिविधि की गई है अगर हॉ तो क्या यह परियोजना लागत में सम्मिलित हैं ।

2. **परिणाम**

2.1 परियोजना अवधि कार्य के विभिन्न स्तर एवं वर्षवार निवेशित की जाने वाली राशि

कार्य का स्तर/मद	प्रथम वर्ष	व्दितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

2.2 निर्माणाधीन कार्यों के लिये वर्षवार आवश्यक राशि

प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	ततीय वर्ष

3. परियोजना लागत

3.1 परियोजना की कुल लागत एवं समयसीमा (वर्षवार तथा गतिविधिवार)

3.2 भू–अर्जन की स्थिति में भूमि की लागत पुनर्वास एवं पुनर्वसाहट लागत का विवरण

3.3 क्या, परियोजना अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि को लागत अनुमान में शामिल किया गया है । अगर हॉ, तो दर।

3.4 पुनरीक्षित लागत अनुमान की स्थिति में लागत वृद्धि के प्रस्ताव पर लागत पुनरीक्षण समिति का अभिमत।

4. वित्त पोषण

4.1 योजना के लिए वित्त पोषण के स्रोतों यथा; बजट सहायता, बजट के अतिरिक्त स्रोत, बाहय सहायता, भारत सरकार का अंश, राज्य सरकार का अंश, स्थानीय संस्थाओं का अंश, हितग्राही अंश या निजी भागीदारी अंश आदि।

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

मंत्रालय

क्रमांक/पी.ए./ / दिनांक 3822 25/06/2020

कर्मांक : 255 /आर–1703/चार/ब–1/2012 भोपाल दिनांक 16 जून 2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

मध्यप्रदेश ।

विषय :– लोक वित्त से वित्त पोषित (Publicly Funded) कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन की प्रकिया ।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र कमॉक : 347/आर–1703/चार/ब–1/2012 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2017

000

संदर्भित परिपत्र के द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं की निरंतरता केन्द्रीय वित्त आयोग की आवार्ड अवधि के लिये प्राप्त करने के संबंध में प्रकिया का निर्धारण किया गया था । वर्तमान में 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रथम अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये संसाधनों की उपलब्ध की अनुशंसायें की गई हैं ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में समस्त ऐसी योजनाएं जो पूर्व में संदर्भित परिपत्र अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत है, जिनको बंद करने का निर्णय ना किया हो एवं/या शून्य बजट प्रावधान ना हो वो दिनांक 31/03/2021 तक के लिए निरंतर मान्य की जायेंगी । इसके पश्चात् की अवधि के लिये योजनाओं/परियोजनाओं की निरंतरता हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे ।

2/– वित्तीय वर्ष 2020–21 में नवीन योजनाओं/पुनरीक्षित योजनाओं की स्वीकृति की प्रकिया के संबंध में संदर्भित परिपत्र की कंडिका–4 एवं 5 अनुसार ही कार्यवाही की जाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनिरुद्ध राठौर) 16/6/20
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

24 JUN 2020
DS(P) / FA

/2/

पृ.क. 256 / आर-1703 / चार / ब-1 / 2012 भोपाल दिनांक 16 जून 2020

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री / राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल / जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर / ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / आडिट) 1 / 2 म.प्र. ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
15. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
16. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए ।
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा / अधीक्षण शाखा / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल ।
19. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय, भोपाल ।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघ ।
25. समस्त कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
26. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—:—

क्र0638/आर 1703/11/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 20/07/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश

विषयः–लोक वित्त से वित्त पोषित (Publicly Funded) कार्यक्रमों,योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया ।

संदर्भः–1. मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग का पत्र कंमाक 347/आर. 1703/चार/ब–1/2012, दिनांक 31/03/2017

2. वित्त विभाग का पत्र कंमाक 255/आर. 1703/चार/ब–1/2012, दिनांक 16 जून 2020.

—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं की निरंतरता केन्द्रीय वित्त आयोग की आवार्ड अवधि के लिए प्राप्त करने के संबंध में प्रकिया का निर्धारण किया गया था। वर्तमान में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर वित्तीय वर्ष 2021–26 के लिए संसाधनों की उपलब्ध की अनुशंसायें की गई है.।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में समस्त ऐसी योजनाएं जो पूर्व में संदर्भित परिपत्र कंमाक–1 के अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत है, जिनको बंद करने का निर्णय ना किया हो एवं/या शून्य बजट प्रावधान ना हो वो दिनांक 31/12/2021 तक के लिए निरंतर मान्य की जायेंगी। इसके पश्चात् की अवधि के लिये योजनाओं/परियोजनाओं की निरन्तरता हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

2/ वित्तीय वर्ष 2021–22 में नवीन योजनाओं/पुनरीक्षित योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में संदर्भित परिपत्र कंमाक–1 की कंडिका–4 एवं 5 अनुसार कार्यवाही की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
अपर सचिव एवं संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग

निरंतर...2.

पृ0क0 639 /1703/2011/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 20/07/2021

प्रतिलिपिः–

1/ राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।

2/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल।

3/ निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।

4/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।

5/ सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।

6/ सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल।

7/ निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल।

8/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।

9/ सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।

10/ रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर ग्वालियर।

11/ महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।

12/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट)1/2 मध्यप्रदेश भोपाल।

13/ अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश भोपाल।

14/ प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।

15/ आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।

16/ आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

17/ नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए।

18/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल।

19/ मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल।

20/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश।

21/ समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश।

22/ संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय, भोपाल।

23/ अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय भोपाल।

24/ अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।

25/ समस्त कोषालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

26/ गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग